न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 46 / 2017

सरकार बनाम इन्द्राज, रामोतार, हरदयाल पुत्र झाबरमल, जयप्रकाश पुत्र भोजाराम, जाति–माली, निवासी– अडूका

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 17.07.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान इन्द्राज, रामोतार, हरदयाल पुत्र झाबरमल, जयप्रकाश पुत्र भोजाराम, जाति–माली, निवासी– अडूका द्वारा रोही मौजा अडूका की राजकीय भूमि ख.नं. 31 कुल रकबा 1.05 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 120 वर्गमीटर भूमि पर नींव खोदकर नींव में पत्थर डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायलान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 09 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 5/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़